International Journal of Engineering, Management, Humanities and Social Sciences Paradigms (IJEMHS)
Volume 35, Issue 01 and Publication Date: 25th January, 2023
An Indexed, Referred and Peer Reviewed Journal
ISSN (Online): 2347-601X
www.ijemhs.com

बिहार से बड़े पैमाने पर ग्रामीण मजदूरों के पलायन को रोकने में कुछ प्रमुख कार्यक्रमों की भूमिका

चन्द्रा सत्या प्रकाश

शोध छात्रा, राजनीतिशास्त्र विभाग, बी0 एन0 एम0 यू0, मधेपुरा, बिहार

बिहार से बड़े पैमाने पर ग्रामीण मजदूर जीविकोपार्जन हेतु अन्य राज्यों में पलायन कर रहे हैं। जिससे अनेक तरह की समस्याएँ राष्ट्रीय स्तर पर और राज्य के स्तर पर उत्त्पन्न हो रहे हैं। पलायन के समस्या के समाधन हेतु निम्नांकित उपाय किए जा सकते हैं :–

क. राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी स्कीम ;नरेगाद्ध का सही कार्यान्वयन :

ग्रामीण क्षेत्राों में खेतिहरों की आजीविका की सुरक्षा को प्रत्ये ऐसे खेतिहर परिवार जिसके वयस्द सदस्य अकुशल शारीरिक कार्य करने के लिए स्वेच्छा से आगे आते हैं, प्रत्येक वित्तीय वर्ष में कम से कम 100 दिनों की गारंटीकृत मजदूरी नियोजन उपलब्ध कराकर बंध्ति करने के लिए राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम 2005 पारित किया गया। यह अधिनियम देश के जम्मू–कश्मिर छोड़कर देश के सभी राज्यों में लागू है।

इसका उद्देश्य ग्रामीण इलाकों को ऐसे प्रत्येक परिवार को एक वित्तीय वर्ष के दौरान कम से कम 100 दिनों की गारंटी युक्त रोजगार देने की व्यवस्था की गयी है, जिसके वयस्क सदस्य अकुशल शारीरिक श्रम करने को तैयार है, ताकि ग्रामीण भारत में रोजगार सुरक्षा की स्थिति को और बेहतर बनाया जा सके। इस योजना के तहत् रोजगार गारंटी से उत्पादकसम्पदाओं का निर्माण करने, पर्यावरण की रक्षा करने, ग्रामीण औरतों के सशक्तीकरण, गॉवों से शहरों की ओर होने वाले पलायन को रोकने, सामाजिक समानता सुनिश्चित करने में सहायता पहुॅचाती है। यह

योजना केन्द्र और राज्यों की निर्धारित हिस्सेदारी के आधार पर एक केन्द्र प्रायोजित योजना के रूप में लागू की गयी है।

इस योजना के तहत् प्रत्येक पंजीकृत परिवार को ग्राम पंचायत की ओर से रोजगार कार्ड जारी किया जाता है। इस योजना के तहत् 18 वर्ष से उफपर के ग्रामीण श्रमिक सम्मिलित होते हैं। मजदूरों द्वारा कार्य की मॉग के लिए आवेदन पत्रा ग्राम पंचायत, प्रखंड कार्यक्रम पदाध्किारी को दिया जाता है, जिसके 15 दिनों के अन्दर उन्हें कार्य देने का प्रावधन है। अकुशल मजदूरों द्वरा 80 घन पफीट मिट्टी काटने पर एक दिन की मजदूरी की गनना की जाती है। अकुशल मजदूरों को उक्त कार्य हेतु 81 रूपये प्रतिदिन की दर से मजदूरी मिलती है। मजदूरों को उक्त कार्य हेतु 81 रूपये प्रतिदिन की दर से मजदूरी मिलती है। मजदूरों को अपने घर से 5 कि0 मी0 से अध्कि की दूरी पर कार्य करने पर 10 प्रतिशत अध्कि मजदूरी देने का प्रावधन है। मजदूरी का भुगतान 7 दिनों के भीतर अध्कितम 15 दिनों के भीतर मास्टर रौल के आधर पर नजदीक के डाकघर अथवा बैंक में खाता खुलवाकर मजदूरी मुगतान का प्रावधन है।

कार्यस्थल पर पीने का पानी, विश्राम के लिए छाया गृह, प्राथमिक उपचार सुविध का प्रावधन है। योजना में काम करने वाली 5 वर्षीय या उससे कम उम्र के बच्चे को खेलाने या देखभाल के लिए समान भुगतान पर दाई/मजदूर रखी जाती है। रोजगार के लिखित मॉग पर 15 दिनों के अन्दर अकुशल काम नहीं देने पर बेरोजगारी भत्ता देने की व्यवस्था है। कार्य स्थल पर दुर्घटना के कारण मृत्यु होने पर 25 हजार रूपये, आपहीज होने पर उसकी मात्राा के अनुसार 15 हजार एवं 10 हजार रूपये मुआवजा देने की व्यवस्था है।

इस योजना के अन्तर्गत जल संरक्षण, मिट्टी कटाई, सड़क निर्माण, पुल–पुलिया निर्माण, जल संचय, वृक्षा रोपण सड़क निर्माण, नहरों का निर्माण, इन्दिरा आवास योजना के लाभान्वितों को जमीन में सिंचाई सुविध प्रदान करने, तलाब की सपफाई,

पोखर की सपफाई, भूमि विकास, बाढ़ नियंत्राण इत्यादि कार्य को सम्मिलित किया जाता है।

इस योजना की एक विशेषता यह है कि इसके अन्तर्गत मशीनों, ट्रेक्टरों का प्रयोग नहीं किया जाता है। कार्य में गड़बड़ी होने पर जानकारी एवं शिकायत निबंध्ति, जॉब कार्ड धरी, प्रखंड कार्यक्रम पदाध्किारी, प्रखंड विकास पदाध्किारी, उप विकास आयुक्त आदि के पास करने का प्रावधन है।

इस योजना का कार्यान्वयन त्राी–स्तरीय पंयायत व्यवस्था के द्वारा होता है। यह योजना देखने से कापफी लाभकारी प्रतीत होता है। परन्तु इसकी कुछ खामियॉ है, यथा–

1. यह योजना बिहार में भ्रष्टम योजना, लटटू योजना के नाम से प्रसि(है। इसमें सरकारी कर्मी एवं बिचौलियों द्वारा मजदूरी की रकम का गवण कर लिया जाता है।
2. झूठे ऑकड़ों पर प्रतिवेदन बनाकर गलत नामों से जॉब कार्ड तैयार किया जाता है।
3. मजदूरों को बैंक में खाता खोलवाने में कापफी कठिनाई होता है।
4. गलत प्राक्कलन तैयार कर सरकारी राशि का दुरूपयोग किया जाता है।
5. कार्य स्थल पर प्रावाधन के अनुसार सुविध उपलब्ध नहीं करायी जाती है।
6. कार्य आरम्भ के पहले शीलापटट नहीं लगाया जाता है।
7. विभागीय अभियन्त द्वारा मनमानी एवं मूँहमॉगी कमीशन लिया जाता है।

इस तरह यह योजना कागज के पन्नों पर देखने में जितना उपयोगी, सार्थक, लाभकारी, जन उपयोगी, मजदूरों की हितकारी प्रतीत होता है, उतना व्यावहारिक ध्रातल पर इसकी उपलब्धि निराशाजनक है।

पिफर भी बहुत हद तक इस योजना के द्वारा बिहार के भूमिहीन खेतिहर मजदूरों की आर्थक हितों की रक्षा हुई। उन्होंने रोजगार के नये अवसर मिले हैं। वर्ष में 100 दिनों की काम की गारंटी मिली है। भूमिहीन खेतिहर मजदूरों के पलायन पर थोड़ा अंकुश लगा है। वास्तविकता यह है कि यदि इस योजना को ईमानदारी पूर्वक, स्वार्थ से उफपर उठकर कार्यान्वयन किया जाय तो निःसंदेह बिहार के भूमिहीन खेतिहर मजदूर इससे लाभान्वित होगा।

ख. संबंध्ति मुद्दों से जुड़े सरकारी कार्यक्रमों का सही कार्यान्वयन :

1ण् कृषि रोड मैप की स्वीकृति :

2008 कृषि वर्ष घोषित, कृषि के समग्र विकास के लिए कृषि रोड मैप की स्वीकृति। कृषि रोड मैप के कार्यान्वयन के लिए आगामी चार वर्षो में कृषि, पशु एवं मत्स्य, संसाघन और सहकारिता की योजनाओं में कुल 6377 करोड़ रूपये व्यय किए गए। इस दिशा में भी बहुत कुछ किया जाना बाकी है। लेकिन कहा जा सकता है कि यह सरकार के द्वारा एक बेहतर प्रयास की शुरूआत है और इससे पलायन की समस्या का समाधन हो सकता है।

2ण् कृषि विकास योजना में अभिवृ(ि :

कृषि विकास योजनाओं के लिए योजना उद्व्यय में वर्ष 2007–08 की तुलना में 81 प्रतिशत की वृ(ि। पशु एवं मत्स्य विकास हेतु संसाध्न विभाग को योजना उद्व्यय में वर्ष 2007–08 में 300 प्रतिशत के वृ(ि हुई। इसे अच्छी शुरूआत कह सकते हैं किन्तु निवेश के दृष्टिकोण से स्थिति बहुत अच्छी नहीं कही जा सकती।

3. तीव्र बीज विस्तार योजना :

मुख्यमंत्रीा तीव्र बीज विस्तार योजना अन्तर्गत धन, गेहूँ और अन्य पफसलों में उन्नत किस्म के बीजों का कृषकों के बीच वितरण का कार्य प्रारंभ किया गया। आने वाले दिनों में इस दिशा में और कदम उठाने की आवश्यकता है।

4. समर्थन मूल्य पर खरीदगी :

राज्य सरकार द्वारा रवी विपणन मौसम 2008–09 में गेहूँ की अध्क्यि प्राप्ति के लिए किसानों को प्रोत्साहित करने हेतु न्यूनतम समर्थन मूल्य 1000 रूपये प्रति क्विंटल के अतिरिक्त 25 रूपये प्रति क्विंटल बोनस राशि का भुगतान। जिसके परिणामस्वरूप 4.7 लाख मैट्रिक टन गेंहूँ की अध्प्राप्ति हुई, जो एक रिकार्ड है। इससे कृषि–क्षेत्रा में और किसानों की स्थिति में थोड़ी सुधर अवश्य हुई है। किन्तु इसे और स्पष्ट रूप से आगे बढ़ाने की जरूरत है।

5. समाज के कमजोर वर्ग के लिए विशेष योजना :

पैक्सों में राज्य के कमजोर वर्ग के लोगों को सदस्ता सुनिश्चित करने के उद्देश्य से अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, महिला एवं पिछड़े वर्ग के व्यक्तियों की सदस्यता हेतु सदस्यता शुल्क तथा शेयर राशि भी राज्य सरकार द्वारा उपलब्ध कराने की व्यवस्था की गई। पलायन करने वाले अध्किांश ग्रामीण मजदूर इन्हीं कमजोर वर्गों से आते हैं। अतः इस क्षेत्रा में विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है।

6. महादलित विकास मिशन का गठन :

महादलितों के सर्वागीन विकास हेतु प्रथम चरण में कुल 288.19 करोड़ रूपये की परियोजना की स्वीकृति, पूरे राज्य में भूमिहीन महादलितों की पहचान के लिए एक गहन सर्वेक्षण कार्य प्रारंभ किया गया। यह आरंभिक प्रयास है और इस कार्यक्रम को जमीनी जामा पहनाना अति आवश्यक है।

7. नगर सेविका योजना :

नगर सेविका योजना की स्वीकृति के माध्यम से शहरी क्षेत्राों की गंदी बस्ती ;झुग्गीद्ध में स्वच्छता, जलापूर्ति, स्वास्थ्य एवं प्राथमिक शिक्षा संबंधी सुविधओं की जानकारी तथा उपलब्ध्ता सुनिश्चित करना और महिलाओं का समूह बनाकर प्रशिक्षण के माध्यम से बेरोजगारी दूर कर आमदनी बढ़ाने के उद्देश्य हैं।

8. उत्थान केन्द्र योजना :

महादलित समुदाय 6–14 आयु समूह के प्रत्येक बच्चे को विद्यालय में नामांकन और नियमित उपस्थिति सुनिश्चित करने तथा उन्हीं के टोलों में पठन–पाठन कार्य प्रारंभ करने के उद्देश्य से 'उत्थान केन्द्र' योजना प्रारंभ हुआ। इस योजना को ज्यादा–से–ज्यादा सशक्त बनाने की जरूरत है।

9. प्रवासी मजदूरों के लिए अनुदान योजना :

बिहार से बाहर काम करने वाले असंगठित क्षेत्रा में मजदूरों के लिए बिहार राज्य प्रवासी मजदूर दुर्घटना अनुदान योजना, अप्रैल 2008 से लागू, जिसमें एक लाख रूपये तक मुआवजा का प्रावधन है।

इस प्रकार बिहार सरकार के इस उक्त नवीन नीति एवं योजना से राज्य के कमजोर वर्ग, निर्ध्नता की रेखा से नीचे रहने वाले लोग, दलित, पिछड़ा, महिला, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं महिला एवं भूमिहीन खेतिहर मजदूरों को कापफी लाभ प्राप्त हुआ। इस दिशा में अभी और आगे काम किए जाने की जरूरत है।

10. स्वास्थ्य सुविध का विस्तार :

सरकार ने जिला अस्पतालों में मेडिकल कॉलेजों की सारी सुविधएँ बहाल करने का निर्णय किया है। उन अस्पतालों में 500 बेड की व्यवस्था करने के साथ ही सभी विशेषज्ञ डाक्टरों की तैनाती की जा रही है। चाहे ऑख, कान, नाक, गला की समस्या हो ब्रेन की या हड्डी रोगी हो या पेट रोगी सभी का इलाज जिला मुख्यालय अवस्थित जिला अस्पतालों में ही हो जायेगा। इन अस्पतालों में दंत इकाई स्थापित करने की प्रक्रिया पहले ही शुरू की जा चुकी है।

बड़े डाक्टरों से अब सूबे के लोग मुफ्रत डाक्टरी परामर्श ले सकेंगे। डाक्टरों की महॅगी पफीस का वहन सरकार करेगी। गॉधी जयन्ती 02 अक्टूबर से राज्य सरकार ने यह अनूठा प्रयोग शुरू करने का निर्णय लिया है। पहले चरण में 16 बड़े शहरों

को चुना गया है। इस योजना से अब तक पटना के 29, मुजफ्रपफरपुर के 21 और गया के 10 नामी डाक्टरों का चयन किया जा चुका है। इसके तहत् 13 अन्य शहरों में भी एक या उससे अध्कि कुल 87 डाक्टर निबंध्ति किये जा चुके हैं।[1]

स्वास्थ्य सचिव दीपक कुमार ने कहा कि डाक्टर को इसके एवज में प्रति माह पर हजार रूपये भुगतान किया जाएगा। इसमें मरीजों को बेहतर चिकित्सा तो प्राप्त होगी। इन्हें 'अर्बन हेल्थ सेन्टर' का नाम दिया जाएगा। इसके साथ ही दूसरे राज्यों में नाम कमाने वाले बिहारी डाक्टरों को दो वर्ष के कान्ट्रेक्ट ;ब्वदजतंबजद्ध पर बिहार बुलाने की योजना बनायी गयी है। इसके लिए 32 डाक्टरों को 55 हजार नकद और रहने की सुविध दी जाएगी।

इससे स्वास्थ्य क्षेत्रा में ग्रामीण जनता एवं श्रमिकों, गरीब तबके के लोगों को लाभ मिलेगा।

11. महिला जागरण एवं महिला शिक्षा :

कल तक कागज पर अंगूठा लगाने वाली ये महिलाएँ विकास का केन्द्र बन गई है। अपनी पंचायत के लोगों को वे आग और बाढ़ से बचने के उपाय और बीमार को अस्पताल पहुॅचाने का तरीका भी बता रही है। ये पंचायतों की दलित महिला जनप्रतिनिध्ि है। विपार्ड के आपदा प्रबंध्न केन्द्र और साक्षरता समितियों के जरिये ऐसी जनप्रतिनिध्यिों की जानकारी मुख्यालय पहुॅच रही है। अलका देवी मोतीहारी जिले की सलही पंचायत की वार्ड सदस्या है। मुसहर जाति से आनेवाली अलका देवी पहले पढ़ी–लिखी नहीं थी। लेकिन अब उनकी सुबह ही दूसरे बच्चों को स्कूल पहुॅचाने के साथ होती है। एक दिन एक दुकान में रसोई गैस सिलिण्डर से रिसाव होने लगा और भगदड़ मच गई। अलका देवी ने हिम्मत जुटाई और बालू की बोरिया लेकर पहुॅच गई। उन्होंने सलाह दी कि सिलिण्डर को बालू की बोरी से ढ़ंक दो और पिफर गैस एजेन्सी से मैकेनिक को बुलाया। वे बीमार ग्रामीणों को अस्पताल पहुॅचाने के लिए कामचलाउफ स्ट्रेचर भी बना लेती है।

थामा पासवान बेगूसराय की दरियापुर पंचायत की मुखिया है। पहले अपना किसी तरह लिखती थी, लेकिन जब साक्षरता समिति ने पढ़ाया तो उनकी तो जैसे ऑख खुल गई। थामा ने सबसे पहले गॉव में एक मृतप्राय पुस्तकालय को खोलने की जिम्मेदारी उठाई और अब वे उसका संचालन कर रही है। अनपढ़ बच्चों को पढ़ाने की भी उन्होंने जिम्मेदारी उठाई है। इसी जिले की मदिहानी एक पंचायत की मुखिया दुलारी देवी अब पंचायत सचिव के कहने भर से किसी भी कागज पर अंगूठा नहीं लगा देती है। अब वे पहले कागज पढ़ती है तब हस्ताक्षर करती है। मात्रा यही नहीं पंचायत की विकास योजनाओं के बारे में वे जानकारी जुटाती है, और अध्किारियों से लड़–झगड़ कर भी इन्हें गॉव में एक संस्थागत प्रसव की लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए मुस्कान एक अभियान की शुरूआत की गई है, जिसके बाद टीकाकरण 11.8 प्रतिशत से बढ़कर 37 प्रतिशत पर पहुॅच गया है। प्रखंड स्तर तक के अस्पतालों तक एम्बुलेंस सेवा उपलब्ध है और उसका उपयोग करने के लिए डायल 102 की सुविध बहाल की गई है। नियमित टीकाकरण, परिवार कल्याण ऑपरेशन एवं अस्पतालों में प्रसव कराने की तादाद बढ़ी है। यक्ष्मा, कालाजार, पफाईलेरिया, कुष्ट एवं अंधपन निवारण कार्यक्रम की गति बढ़ी है।

–: संदर्भ :–

1. डॉ0 मोहन प्र0 श्रीवास्तव : विकास का अर्थशास्त्रा एवं नियोजन

2. डॉ0 म. म. भालेराव : कृषि अर्थशास्त्रा

3. मुरे, डी0 ब्राइड्स : इण्डस्ट्रीयल डेवल्पमेंट

4. डॉ0 अरविन्द एवं यतीन्द्र शांडिल्य : बिहार एक खोज

5. डॉ0 मामोरिया एवं जैन : भारतीय अर्थशास्त्रा

6. रूद्रदत्त एवं के.पी.एम. सुन्दरम : भारतीय अर्थव्यवस्था